# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

(2) 2019RAAJu225RTA0126Ilamdin EtcVsJamaldin

(1)2018RAAJu23RTA0157 Jamaldin Vs Ilamdin etc

1. जमालदीन पुत्र इलमदीन जाति सिन्धी मुसलमान निवासी ग्राम देदासरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

----- अपीलाण्ड्स

**ब**

**ना**

**म**

1. इलमदीन पुत्र खुदाबक्स उर्फ खुदुखां
2. सालेमोहम्मद पुत्र इलमदीन
3. मुसेखां पुत्र इलमदीन

जातियान सिन्धी मुसलमान, निवासीगण ग्राम देदासरी, तहसील बाप जिला जोधपुर।

----- रेस्पो.

(2) 2019RAAJu225RTA0126Ilamdin EtcVsJamaldin

1. इलमदीन पुत्र खुदाबक्स उर्फ खुदु खां,
2. साले मोहम्मद पुत्र इलमदीन,
3. मुसे खां पुत्र इलमदीन,

सभी जाति सिंधी मुसलमान, निवासीगण देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर।

----- अपीलाण्ड्स

**ब**

**ना**

**म**

1. जमालदीन पुत्र इलमदीन जाति, सिंधी मुसलमान, निवासी ग्राम देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर।

----- रेस्पो.

**अपील अन्तर्गत धारा 225राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

**15 मई 2018 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 357/2013 जमालदीन बनाम इलमदीन इत्यादि में पारित**

----- 0 -----

**उपस्थित-**

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स अपील 1 एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट अपील 2

श्री गिरधरसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. अपील संख्या 1 एवं अधिवक्ता अपीलांट अपील संख्या 2

# नि र्ण य

**दिनांक** : 17 जनवरी, 2020

अपीलाण्टस ने ये अपीले विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 357/2013 जमालदीन बनाम इलमदीन इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 मई 2018 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत क्रमशः दिनांक 17 सितंबर 2018 एवं 13 सितंबर 2019 को पेश की है।

अपीलो के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी जमालदीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा खातेदारी, जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक प्रतिवादी के नाम की खातेदारी की पैतृक भूमि ग्राम निजामदीन की बस्ती देदासरी के खसरा नं. 335 रकबा 104 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 338 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 268 रकबा 51 बीघा 01 बिस्वा तथा ग्राम इस्माईल खां की ढाणी के खसरा नं. 261

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

रकबा 146 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि वादी के दादा खुदाबक्स की होने से उन्हे जन्म से अधिकार प्राप्त है लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या एक अकेले का नाम दर्ज होने से प्रतिवादी उक्त भूमि को बेचान करने पर उतारू है, उसे रोका जावे। वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसके विरुद्ध ये अपीले न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। अपीले क्रमशः दिनांक 17 सितंबर 2018 एवं 13 सितंबर 2019 को पेश की है। अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स जमालदीन **(अपील संख्या 2019/126 में रेस्पोडेंट)** ने दोनों अपीलों के संबंध में अपनी संयुक्त बहस में तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि--

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में ग्राम देदासरी के खसरा नं. 268 रकबा 51 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर कोई आदेश पारित नही किया बल्कि उक्त खसरा भी अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 212 में शामिल था। विवादग्रस्त भूमि क सभी खसरान की भूमि पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमें अपीलार्थी को जन्म से अधिकार प्राप्त है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त एक खसरे के संबंध में कोई आदेश जारी नही करने में भारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी के केस को प्रथमदृष्टया माना है फिर भी सम्पूर्ण खसरों में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी भूल की है, जबकि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने काबिल था। विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के दादा खुदाबक्स उर्फ खुदु खां के नाम दर्ज थी, जो खुदु खां के फौत होने पर रेस्पोडेंट संख्या एक के नाम दर्ज हुई । उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमें अपीलार्थी का जन्म से अधिकार है। रेस्पोडेंट संख्या एक इलमदीन राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने की आड़ में पैतृक भूमि को अजनबी क्रेतागण को बेचान करने पर उतारु है। अगर व ऐसा करने में सफल हो जाता है तो अपीलार्थी को अपार क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपीलार्थी के मामले को प्रथम दृष्टया केस तथा सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में माना है, इस कारण सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र स्वीकार करने काबिल था। अपीलार्थी अपने दादा के जीवनकाल से विवादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से में मौके पर काबिज है एवं काश्त करता आ रहा है। अपीलार्थी कानूनन एक सह खातेदार है। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी के शांतिपूर्वक एवं सेटल्ड पजेशन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 संशोधित किया जावे कि अपीलार्थी के धारा 212 के प्रार्थना पत्र में समस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरान की भूमि में रेस्पोडेंट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

- अपील पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की नकल लेकर हल्का पटवारी को दी तो पटवारी ने दिनांक 22.08.2018 को खसरा नं. 268 की जमाबंदी में स्थगन नोट लगाने से मना कर दिया तथा कहा कि इस खसरे में अधीनस्थ न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है, तब अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश की दुबारा नकल हेतु दिनांक 23.08.2018 को आदेवन किया जो नकल तैयार होकर उसी दिन प्राप्त हो गई, जिसको लेकर अपने अधिवक्ता को पढाने पर ज्ञात हुआ कि इस खसरे पर किसी प्रकार का स्थगन नही है प्रथम जानकारी दिनांक 23.08.2018 से यह अपील अंदर म्याद है पेश की जा रही है। अतः म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा अपील पेश करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जावे।
- अधिवक्ता अपीलांट जमालदीन ने यह भी कहा कि अपील संख्या 2019/126 में अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है और विलम्ब कण्डोन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी स्पष्ट नहीं किया। अतः उक्त अपील म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में रेस्पो. इलमदीन वगैरह **(अपील संख्या 2018/157 में रेस्पोडेंट)** की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि--

- माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध संचिका अभिलेख के तथ्यों के विरुद्ध कानूनन व इन्साफन गलत होने के कारण निरस्त योग्य है। ग्राम निजामदीन की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी के खेत खसरा नं. 335 रकबा 104 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 338 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा एवं ग्राम देदासरी तहसील बाप के खेत खसरा नं. 268 रकबा 51 बीघा 01 बिस्वा एवं इस्माईल खॉ की ढाणी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खेत खसरा नं. 261 रकबा 146 बीघा भूमि आई हुई है, जिसकी खातेदारी अपीलांट संख्या 1 के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरान् की भूमि पर अपीलांट संख्या 1 का ही कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। ग्राम इस्माईल खॉ की ढाणी पुराना गॉव देदासरी के खेत खसरा नं. 261 रकबा 146 बीघा 02 बिस्वा भूमि अपीलांट खंख्या 1 ने सेखु खॉ पुत्र खानू खॉ जाति मुसलमान से खरीद की थी। इस कारण उपरोक्त भूमि अपीलांट संख्या 1 की स्वयं की अर्जित आय से खरीद शुदा भूमि है तथा उक्त भूमि पैतृक भूमि नही है, इस कारण उक्त भूमि में रेस्पोडेंट का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। ग्राम निजामदीन की बस्ती तहसील बाप के खसरा नं. नम्बर 335 रकबा 104 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 338 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, ग्राम देदासरी तहसील बाप के खसरा नं. 268 रकबा 51 बीघा 01 बिस्वा भूमि जरिये मुकदमा संख्या 79-ए/95 श्रीमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलक्टर, फलोदी में बअनवान ईलमदीन बनाम हाजी खॉ, निर्णय दिनांक 2.10.2002 में पारित निर्णय के आधार पर अपीलांट संख्या 1 उक्त खसरान की भूमि का खातेदार माना गया तथा उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट संख्या 1 के पिता जी खुदाबक्स उर्फ खुदु खॉ जो रेस्पोडेंट व अपीलांट संख्या 2 व 3 के दादा थे, उन्होने अपने जीवित अवस्था में ही पैतृक भूमि का दिनांक 26.03.1979 को ही रजिस्टर्ड पारिवारिक बंटवाड़ा करके अपीलांट संख्या 2 व 3 तथा रेस्पोडेंट को पैतृक भूमि में से हिस्सा दे दिया था। इस कारण पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है तथा रेस्पोडेंट जमालदीन को हक व हिस्सा प्राप्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट को नोटिस जारी किए तथा न ही सुनवाई का मौका दिया। उक्त पत्रावली को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में ही उक्त आदेश पारित किया, जबकि न तो अपीलांट को सूचना दी न ही जवाब का मौका दिया। बाले-बाले आदेश पारित करवा दिया। उपरोक्त भूमि अपीलांट की स्वयं की अर्जित आय से खरीद शुदा भूमि है। पैतृक भूमि रेस्पोडेंट व अपीलांट संख्या 2 व 3 के दादा खुदा बक्स ने अपने जीवन काल में बंटवाड़ा कर दिया था। इस कारण रेस्पोडेंट को मुस्लिम विधि अनुसार पैतृक भूमि में सें हिस्सा प्राप्त हो जाने के कारण अपीलांट की खरीद सुदा भुमि में सें किसी प्रकार से हक व हिस्सा प्राप्त करने का कानूनन अधिकार नही है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 को निरस्त किया जावे।

- उन्होनें अपील संख्या 2018/157 में अपीलांट द्वारा अपील म्याद के बाहर प्रस्तुत करने पर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई तर्क संगत एवं स्पष्ट कारण नहीं बताया है अतः उक्त अपील म्याद बाधित होने से खारिज की जावे।
- अपील संख्या 2019/126 में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में हुए विलंब के संबंध में कथन किया कि अप्रार्थी ने मिलीभगत करके बाले-बाले प्रार्थी को सुनवाई का अवसर एवं मौका दिए बिना ही एक तरफा आदेश पारित करवाया, जिस आदेश की अप्रार्थी द्वारा अपील के नोटिस प्रार्थी को प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ तब प्रार्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त की तब प्रार्थी को प्रथम जानकारी हुई। इस कारण प्रथम ज्ञान से उक्त अपील अंदर म्याद पेश की जा रही है। अतः म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे तथा उक्त अपील मैरिट पर निर्णित करने का आदेश पारित किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इन्हे तकनीकी बिंदुओ पर खारिज करने के बजाय उभय अपीले तथ्यों एवं गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद सुमार की जाती है।

उभय अपीले अधीनस्थ न्यायालय के एक ही आदेश के विरुद्ध एवं समान पक्षकारों के मध्य समान विवादित आराजियात के संबंध में होने से एकी ही निर्णय से निस्तारित की जा रही है।

उभय अपीले अधीनस्थ न्यायालय के एक

दोनो अपीलों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील मीमों के साथ पेश कागजात का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त तीनो खसरां न. 335, 338 व 268 की आराजी खुदाबक्श उर्फ खुदु खां के नाम थी जो उसकी फौतेदगी के फलस्वरूप नामा. संख्या 258 दिनांक 08. 06.1989 को विरासतन उसके इकलोते पुत्र इलमदीन को प्राप्त हुई। इससे पूर्व खुदाबक्स ने अपने जीवनकाल में एक पारिवारिक बंटवाड़ा (रजिस्टर्ड) अपने खातेदारी हकूकों का रजामंदी से दिनांक 26.03.1979 को किया, जिसमें तत्समय उसकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 55,57/345 व 338 में सें अपने तीनो पोतो में प्रत्येक को रकबा क्रमश 33.06 बीघा, 49.19 बीघा तथा 14.01 बीघा कुल रकबा 97.03 बीघा भूमि दे दी, जिसमें से खसरा नं. 55 व 57/345 संपूर्ण दे दिये गए। जो वर्तमान में इन खसरान की जमाबंदी के अनुसार पृथक-पृथक रकबा तदनुसार प्रत्येक पोते की खातेदारी में दर्ज हो चुका है। शेष भूमि खसरा नं. 338 में 44.01 बीघा, खसरा नं. 335 में 104. 01 बीघा गैर मु. तथा खसरा नं. 268 में 51.01 बीघा गै.मु. स्वयं खुदाबक्स के हिस्से में रही जो उसकी मृत्यु पश्चात् उसके एकमात्र पुत्र इलमदीन को उपरोक्त नामांतकरण से खसरा नं. 338 में 13.01 बीघा तथा शेष यथावत प्राप्त हुई। वादग्रस्त भूमि का खसरा नं. 261 (अन्य खसरा नं. 209 रकबा 13.09 बीघा के साथ) रकबा 146.02 बीघा इलमा (इलमदीन) पुत्र खुदु खां

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वयं ने सेखू खां पुत्र श्री खानू खां मुसलमान निवासी देदासरी से संवत 2076 में दिनांक 09.02.1964 को खरीद किया, जिसका नामांतकरण होकर अमल दरामद हुआ। खसरा नं. 261 इलमदीन की खरीदसुदा स्व अर्जित संपति है। खुदाबक्स ने अपने जीवन काल में मुस्लिम विधि के अनुसरण में पारिवारिक बंटवाड़े में अपने पोतो को भी हिस्सा जिन खसरों में दिया, उनमें अपने पुत्र इलमदीन को नही देकर पारिवारिक संतुलन रखा। इस प्रकार खसरा नं. 338, 335 व 268 की भूमि इलमदीन को पिता की मृत्योपरांत प्राप्त हुई, जिस पर इलमदीन के जीवित रहते उसके पुत्रों का कोई हक हिस्सा निहित नही होता है। इसी तरह ख. नं. 261 जो स्वयं इलमदीन द्वारा जरिये खरीद स्व अर्जित संपति है, उसमें उसके पुत्रों का कोई हक फिलहाल निहित नही है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निर्धारित किये जाने वाले तीनो बिंदु यथाः - प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति जमालदीन के अपेक्षाकृत इलमदीन के पक्ष मे है। जिनके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में निर्धारण होकर कोई निष्कर्ष नही है।

उपरोक्त विवेचन एवं विधि के आलोक में अपीलांट इलमदीन की अपील संख्या 126/2019 अनवान इलमदीन वगैरह बनाम जमालदीन स्वीकार और अपीलांट जमालदीन की अपील संख्या 157/2018 अनवान जमालदीन बनाम इलमदीन वगैरह अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है। आदेश की एक-एक प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में संलग्न की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/1/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर